

Seventeenth Lok Sabha

pan>

Title: Introduction of the Population (Stabilization and Planning) Bill, 2019.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए परिवार नियोजन प्रक्रिया में पुरुषों और महिलाओं दोनों को महत्वपूर्ण पणधारी मानते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए हमारे राष्ट्र के संसाधनों और विकास के अनुकूल और अनुरूप जनसंख्या सुनिश्चित करने हेतु परिवार नियोजन को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जनसंख्या योजना प्राधिकरण तथा प्रत्येक जिले में जिला जनसंख्या योजना समिति का गठन करके देश में जनसंख्या स्थिरीकरण तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the stabilization of population in the country through setting up of a National Population Planning Authority at the national level and a District Population Planning Committee in each district to encourage and promote family planning in order to ensure a population which is in tandem and commensurate with the resources and development of our nation, to improve health of the women and empower them, recognizing both men and women as an important stakeholder in the family planning process, to improve standard of living of the citizens and for the matters connected therewith and incidental thereto. ”

The motion was adopted.

श्री सुशील कुमार सिंह: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूँ ।

